विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 40 कंडिकाएं सम्मिलित हैं जिनमें राशि ₹ 1,568.91 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है जो कर के कम आरोपण/अनारोपण, शुल्क एवं ब्याज, शास्ति एवं संदेहास्पद/निरर्थक व्यय इत्यादि से संबंधित है। विभाग/शासन द्वारा ₹ 1,399.13 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किए गए है जिसमें से ₹ 88.91 करोड़ वसूल किये गये।

I. सामान्य

गत वर्ष के ₹ 12,840.46 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ ₹ 14,770.73 करोड़ रही। इसमें से 57 प्रतिशत राशि कर राजस्व (₹ 10,712.25 करोड़) और कर भिन्न राजस्व (₹ 4,058.48 करोड़) द्वारा राज्य को प्राप्त हुई। शेष 43 प्रतिशत राशि भारत शासन के विभाज्य संघीय करों में राज्यांश (₹ 6,320.44 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 4,776.21 करोड़) से प्राप्त हुई।

(कंडिका 1.1.1)

जून 2012 के अंत में, दिसम्बर 2011 तक जारी, 2,185 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 8,428 लेखा परीक्षा प्रेक्षण जिनमें ₹ 4,495.26 करोड़ समाहित थी लम्बित हैं।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, खनन एवं उत्खनन, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, भू-राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व आदि के प्राप्तियों की नमूना जाँच में ₹ 555.69 करोड़ अवनिर्धारण/कम आरोपण राजस्व की हानि के 18,824 प्रकरण पाये गये। वर्ष 2011-12 के दौरान सम्बन्धित विभागों द्वारा 5701 प्रकरणों में, जिसमें ₹ 106.24 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष के दौरान इसमें से विभाग द्वारा ₹ 11.86 लाख की वसूली की गई।

(कंडिका 1.13.1)

II. वाणिज्यिक कर

क्रय और विक्रय को छुपाने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी कर और शास्ति ₹ 18.94 लाख लगाने में विफल रहा।

(कंडिका 2.13)

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर-II बिलासपुर द्वारा अनियमित छूट देने के कारण कर एवं शास्ति का अनारोपण ₹ 21.08 लाख।

(कंडिका 2.14)

निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर की गलत दर लागू करने के कारण कर और शास्ति का कम आरोपण ₹ 24.90 लाख।

(कंडिका 2.16, 2.17.1)

कर की निम्न दर अपनाए जाने से कर का कम आरोपण ₹ 20.24 लाख।

(कंडिका 2.17.2)

सोया फलोर के विक्रय में अनियमित छूट देने के कारण कर एवं शास्ति का अनारोपण ₹ 4.66 करोड़।

(कंडिका 2.19)

अनुसूची की प्रविष्टियों का सत्यापन करने में निर्धारण अधिकारी विफल रहा जिससे प्रवेश कर का अनारोपण हुआ ₹ 1.24 करोड़।

(कंडिका 2.20)

किये गये क्रयों में अनियमित छूट प्रदान करने से प्रवेश कर का अनारोपण ₹ 8.31 लाख।

(कंडिका 2.21)

समाधान राशि की कम प्राप्ति भुगतान में विलम्ब बकाया राशि के विलम्बित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण और गलत समायोजन के कारण राजस्व की हानि ₹ 7.07 करोड़।

(कंडिका 2.23)

III. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क

उप पंजीयक द्वारा दस्तावोजों के पंजीयन के समय मार्गदर्शिका का अनुपालन नही करने से मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण ₹ 43.24 लाख।

(कंडिका 3.9)

मुख्य मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों का न्यून मूल्याँकन करने से मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 19.84 लाख का कम आरोपण।

(कंडिका 3.13)

IV. भू - राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों से नजूल भूमि पर विभाग द्वारा प्रीमियम और भू - भाटक का आरोपण करने में विफलता से राजस्व ₹ 59.73 लाख का कम आरोपण।

(कंडिका 4.8)

V. वाहनो पर कर

परिवहन अधिकारियों द्वारा आवश्यक फीस बिना लिए व्यापार प्रमाणपत्रों को जारी करने के कारण फीस का अन/कम आरोपण ₹ 4.43 करोड़।

(कंडिका 5.9)

जिला परिवहन अधिकारी कांकेर द्वारा गाडियों का पंजीयन बिना प्रवेश कर का आरोपण करने के कारण कर का अनारोपण ₹ 6.13 लाख।

(कंडिका 5.12)

परिवहन अधिकारियों द्वारा फार्म -19 के अनुसार पंजी का संधारण की जाँच और उसके अनुसार व्यापार कर का आरोपण करने में विफल रहने से व्यवसायियों से ₹ 4.17 करोड़ की कम प्राप्ति।

(कंडिका 5.13)

VI. अन्य कर प्राप्तियाँ

अ : विद्युत पर कर एवं शुल्क

विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण की निष्पादन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि :

- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम/छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम में गलत प्रावधान को सम्मिलित किए जाने से उपकर का आरोपण दो विभिन्न स्थानों पर हो रहा है जिससे उपभोक्ताओं पर राशि ₹ 252.63 करोड़ का अतिरिक्त भार आया।

(कंडिका 6.2.10)

- उद्योगों को गलत छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने के कारण विद्युत शुल्क एवं ब्याज की राशि ₹ 15.77 करोड़ का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.11)

- अधिसूचना के निरस्त हो जाने के बावजूद भी मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा छूट जारी किए जाने से राशि ₹ 44.68 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.12.2)

- छूट हेतु अयोग्य टीजी सेट को छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने से राशि ₹ 35.69 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.14)

- मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा अयोग्य उद्योगों को छूट जारी किये जाने से राशि ₹ 44.74 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.15)

- स्टैण्डबाय टीजी सेट को अनियमित रूप से छूट दिये जाने से राशि ₹ 16.10 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अवसूली।

(कंडिका 6.2.16)

- एक उद्योग द्वारा छूट अप्राप्त उद्योगों को विद्युत ऊर्जा का विक्रय किये जाने के बावजूद छूट जारी रखने के कारण राशि ₹ 20.90 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.17)

- अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत निर्माण कंपनी लिमिटेड पर राशि ₹ 47.62 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण।

(कंडिका 6.2.18)

- अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के संयंत्र को थर्मल पावर प्लांट में बदलने पर भी मुख्य विद्युत निरीक्षक राशि ₹ 5.40 करोड़ का विद्युत शुल्क एवं ब्याज आरोपित करने में असफल रहा।

(कंडिका 6.2.19)

- मुख्य विद्युत निरीक्षक राशि ₹ 22.36 करोड़ का विद्युत शुल्क एवं ब्याज आरोपित करने में असफल रहा।

(कंडिका 6.2.21)

VII. अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ

अ : वन प्राप्तियाँ

वनमंडलाधिकारियों द्वारा समयबद्ध सीमा में वनोपज का परिवहन करने में विफल रहने से राजस्व हानि ₹ 59.83 लाख।

(कंडिका 7.9)

ब: ब्याज प्राप्तियाँ

वित्त विभाग/शासन द्वारा ब्याज के भुगतान हेतु निबंधनो एवं शर्तो को शामिल न किये जाने से दण्ड ब्याज वसूल न होना।

(कंडिका 7.12.7.1)

प्रशासनिक विभागो द्वारा सुसंगत अभिलखों का संधारण करने में विफलता तथा वित्त विभाग में प्रणाली के अभाव में ऋणो के भुगतान और वसूली पर नियत्रंण न होने के परिणामस्वरूप (कुल ₹ 249.29 करोड़) ऋण राशि की मांग/निर्धारण ब्याज तथा दांडिक ब्याज न होना।

(कंडिका 7.12.8)

ऋण स्वीकृत विभागों द्वारा बकाया ऋण राशि का सत्यापन किये बिना पुर्नभुगतान किये जाने से ब्याज की कम प्राप्ति ₹ 4.29 करोड़।

(कंडिका 7.12.9)

VIII. वन विभाग

आपदा राहत कोष से वनमंडलाधिकारियों द्वारा अस्वीकृत कार्यो को किये जाने से अनियमित व्यय ₹ 10.76 करोड़।

(कंडिका 8.6)

कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ वनमंडलाधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण की गणना में दरों की वृद्धि को ध्यान में न रखे जाने से कम प्राप्ति ₹ 85.98 लाख।

(कंडिका 8.7)

कांकेर एवं कोरिया वनमंडलाधिकारियों द्वारा एक दिन में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न निर्माण कार्यो में लगे समान मजदूरों को भुगतान करने से प्रमाणकों में संदिग्ध व्यय ₹ 4.94 लाख।

(कंडिका 8.8)

डब्लू.बी.एम. सड़क और चेक डेम का निर्माण करने से अनियमित और संदिग्ध व्यय ₹ 1.89 करोड़।

(कंडिका 8.11, 8.12 एवं 8.13)